लाइसेंस या खनन पट्टा, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिया जाएगा। "हीरे" इस अधिनियम की उपरोक्त प्रथम अनुसूची मे आते है।

अजमेर में जिंक के भंडार

1290. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजमेर (राजस्थान) में जिंक के भंडार पाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अजमेर (घुघरा भुनाबे क्षेत्र) में जिंक के खनन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, यदि नहीं, तो इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(घ) अजमेर में कितने भूक्षेत्र में जिंक के भंडार उपलब्ध हैं और इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान के अजमेर जिले मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण जस्ता सीसा भंडार पाए गए हैं:—

	भण्डार (एम०टी०)	जस्ता (%)	सीसा (%)
कयार	10.00	14.89	2.67
घुरा	5.52	3.35	1.88
कनकराया	9.01	3.22	2.56
मदारपुरा	6.6	5.51	—
भुनावे			
कालाबाड़ खण्ड	1.25	6.76	—
टिखी खण्ड	1.47	2.54	1.90
सावर खण्ड	0.90	1.45	2.54
बेजता सेन्ट्रल ब्लाक	1.22	3.84	2.57
गणेशपुर खण्ड	0.766	5.75	(कुल सीसा+जस्ता)
टिखी एक्सटेंशन नार्थ ब्लाक	0.4	3.93	(कुल सीसा+जस्ता)

(ग) जी, अभी नहीं। हिन्दुस्तान जिंक लि० (एच जेड एल) ने घुघरा क्षेत्र में खनन पट्टा प्राप्त किया है। परन्तु भण्डारों की आर्थिक व्यवहार्यता का अभी मूल्यांकन किया जाना बाकी है जिसके लिए अतिरिक्त गवेषण कार्य की आवश्यकता पड़ सकती है।

(घ) अधिकांश भंडार अजमेर के आस-पास 80 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में है। कुल लगभग 37.14 मिलियन टन के भण्डारों का अभी तक अनुमान लगाया गया है।

सरकार द्वारा घोषित खनन परियोजनाएं

1291. **श्री अखिलेश दास :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितनी खनन परियोजनाएं घोषित की गई हैं;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समय सारणी से पीछे चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना के संबंध में लागत मे कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खनन परियोजनाओं के बारे में सरकार ने नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि० की बाक्साइट खानों, एल्मिना शोधनशाला और एल्युमिनियम संयंत्र की क्षमता

के विस्तार को ही मंजूरी दी है। नालको की बाक्साइट खानों की वर्तमान क्षमता 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष की जा रही है। इस पर 120.59 करोड़ रु० (जून 1996 के मूल्य स्तर पर) की लागत आएगी। इस परियोजना को सरकारी मंजूरी की तारीख अर्थात् 18.12.1996 से 51 माह में पूरा किया जाना है। यह परियोजना कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रगति कर रही है।

(ख) और (ग) अभी तक इस परियोजना पर अतिरिक्त समय या लागत नहीं लगी है।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Deletion of Limestone Bauxite from the List of Schedule Minerals

1292. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of MINES be please to state:

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat has requested the Union Government for deletion of limestone and bauxite from the list of schedule minerals as shown in schedule-I of Mines and Minerals Regulation Development Act, 1957;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) Yes, Sir. The proposal for deletion of Limestone and Bauxite from Schedule I of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, has been considered by the Committee constituted under the Chairmanship of Secretary (Mines) with the Secretaries of some of the State Governments including the Government of Gujarat, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries, Controller General, Indian Bureau of Mines etc. as members. The terms of reference of the Committee, inter-alia, included review of the existing laws and procedures governing regulation and development of minerals and to recommend steps to make them compatible with the policy changes and to suggest steps to reduce delays in grant/ renewal of Prospecting Licences/Mining Leases. The Committee was also to consider and suggest further delegation of powers to the State Governments regarding grant/renewal of prospecting Licences/Mining leases and measures to be taken to prevent illegal mining. The Committee has since submitted its report on which necessary action has already been initiated.

Atrocities Against Women

1293. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that atrocities against women are increasing in the country;

(b) the number of cases for the last three years and State-wise details;

(c) the steps taken to reduce such cases and prevent atrocities against women in the country; and

(d) whether the State Governments are not taking enough steps to prosecute the offenders and the cases of prosecution reduced?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Reservation for OBCs in Educational Institutions

1294. SHRI SHIV CHARAN SINGH:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering a provision for reservation in